भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
25.02.2016 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 164

हरिपुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र का स्थानांतरण किया जाना

164. श्री सी.एम. रमेश:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिपुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र को आंध्र प्रदेश स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से कोई परामर्श किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी क्या प्रतिक्रिया रही?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) जी, नहीं। तथापि, रूस के तकनीकी सहयोग से नाभिकीय विद्युत रिएक्टर स्थापित करने के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य में अतिरिक्त तटीय स्थल की तलाश की जा रही है।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य में उपयुक्त तटीय स्थलों का पता लगाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से बातचीत की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने, उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए, भारत सरकार की स्थल चयन समिति द्वारा संभावित स्थलों के तकनीकी मूल्यांकन किए जाने के लिए सहमति दे दी है।

****